न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2016 निगरानी निग- 3372 - I 16

1. नवीन कुमार पुत्र श्री शिवशंकर पाण्डेय
2. सीताराम पुत्र मनमोहन मिश्रा
3. कुल्दीप सिंह पुत्र रामकुमार सिंह समस्त निवासीगण–तह.राजनगर,ज़िला छतरपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तह.राजनगर, जिला छतरपुर म.प्र.

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 न्यायालय सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 01/अ–89अ(13)/10–11 में आदेश दिनांक 16.08.2011 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर के याचिका क्रमांक 15407/2011 के आदेश दिनांक 02.09.2016 के पालन में।

श्रीमानजी,

सेवा में निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गंज भूमि हल्का नम्बर 615/1/1/2/क व खाता नम्बर 630 रकवा क्रमशः कत्य 947, 0.862 हैक्टेअर भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से नवीन कुमार एवं अन्य ने क्रय की थी भूमि ऊबड़ खाबड़ थी जिसे हम निगरानीकर्तागण द्वारा समतल कराया जा रहा था तब न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के न्यायालय से एक पत्र जारी किया कि आपके द्वारा एक अवैध कॉलोनी का निर्माण किया

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

.....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3372/1/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8\ –10–2016	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी.भटनागर द्वारा यह निगरानी सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर (म0प्र0) के प्रकरण कमांक 01/अ–89अ(13)/10–11 में पारित आदेश दिनांक 16–8–2011 से परिवेदित होकर, म0प्र0भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा संहिता 1959 की धारा 172(1) का उल्लधंन होने से आवेदकगण की भूमि का प्रबंधन शासन हित में लेने का अवैधानिक आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदिकागण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका कमांक 15407/2011 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 2–9–2016 को माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया। जिसके पालन में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है। यह तर्क दिया गया कि, विचाराधीन प्रकरण में विवादित भूमि खसरा नम्बर 615/1/1/2/क, व खाता नंबर 630 रकवा कमशः 947, 0.862 हैक्टर स्थित मौजा गंज, जिला छतरपुर पटवारी हल्का नंबर 60 का मालिक भूमि स्वामी आधिपत्यधारी आवेदकगण है उनके द्वारा यह भूमि खातेदार देवीप्रसाद तनय रामसहाय पाण्डेय निवासी गंज,से रजिस्टर्ड विकय पत्र कमांक 831, 832 दिनांक 25–10–2010 को कय	

की थी। पटवारी गंज ने दिनांक 8–1–2011 को अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि खसरा नंबर 615/1/1/2/क, व खाता नंबर 630 रकवा कमशः 947, 0.862 हैक्टर कृषि भूमि पर आवेदकगण द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर कृषि भूमि पर आवासीय भू–खण्ड के आकार प्रकार बनाकर अवैध आवासीय कांलोनी बनायी जा रही है। इस पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कारण बताओं सूचना–पत्र जारी किया जाकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत मनमाना आदेश पारित किया गया है। व भूमि का प्रबंधन शासन हित में लेते हुए आदेश दिनांक 16–8–2011 पारित किया गया साथ ही दंण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को प्रकरण में साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन व पंचनामा को प्रमाणित नहीं किया है। इस प्रकार पटवारी की साक्ष्य को आधार बनाते हुए प्रकरण में कार्यवाही की गई है। जो विधि विरूद्ध है। म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 अ में सबूत का भार– यह भार सरकार पर है कि वह साबित करें कि धारा 59(1) के अनुसार भूमि किस प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही है। सबूत का यह भार पटवारी के कथन से पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क में यह भी कहा है कि, माननीय उच्च न्यायालय ने भी न्याय द्धष्टान्त आर0 एन0 1994 पेज 192 ब्रजभूषण मोदी बनाम म.प्र.राज्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि वास्तव में डायवर्सन कब किया गया, यह देखा जाना चाहिए। उपपंजीयक द्वारा जो विकय सूची पेश की गई थी उसके अनुसार केतागण को भी पक्षकार बनाते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अतं में उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर आवेदकगण के पक्ष में भूमि का समतलीयकरण करने एवं उनके हित में भूमि विकास निस्तार करने का अधिकार प्रदान करते हुए निगरानी

स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

3— अनावेदक शासन की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, आवेदकगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ—89अ(13)/10—11 में पारित आदेश दिनांक 16—8—2011 से एवं प्रकरण में जारी कारण बताओं सूचना पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा इश्तहार दिनांक 10—1—2011 एवं पटवारी के लिए कथन दिनांक 12—8—2011 एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 01/अ—89अ(13)/10—11 की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा, रिपोर्ट आदि निगरानी के साथ प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा जो इश्तहार दिनांक 10—1—2011 को जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से लेख है कि संहिता 1959 की धारा 172(1) का उल्लंधन कर आवासीय प्रयोजन में कर नगर एवं ग्राम निवेश से अभिन्यास अनुमोदित कराये बिना रास्ते व सडक बनाकर मूलतः नगरीय सुविधाओं का प्रावधान किये बिना अवैध आवासीय कॉलोनी हेतु भूमि का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार आदेश दिनांक 16—8—2011 में लेख किया है कि हल्का पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनावेदक द्वारा कॉलोनाइजर का लायसेंस प्राप्त किये बिना भूमि का डायवर्सन कराये बिना कार्य करने का इश्तहार जारी कियां है। किन्तु इसके विपरीत आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा कय की गई है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि से कोई भी प्लाट किसी भी व्यक्ति को विकय नहीं किया गया अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में जो पंचायत राजअधिनियम के उल्लंधन वाली बात दर्शायी गई है उसका उल्लंधन आवेदकगण द्वारा नहीं किया गया, नाही कोई निर्माण कार्य किया गया है। मात्र भूमि समतल की गई है

कय की गई भूमि का समतलीयकरण करना अवैध कॉलोनी निर्माण नहीं कही जा सकता है। आवेदकगण का भूमि का डायवर्सन आवेदन विचाराधीन है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पत्रिकाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का यथोचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5— उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—8—2011 निरस्त किया जाता है एवं आवेदकगण के नाम की प्रविष्टि खसरे में अंकित की जाकर, आवेदकगण को भूमि का समतलीयकरण करने का अधिकार देते हुए निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश,ग्वालियर